अप्रार्थीः— तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित —

प्रार्थी की ओर से — अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा

अप्रार्थी की ओर से— सरकारी पैरोकार।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम</u>

<u>—::निर्णय::—</u>

दिनांकः—25/11/21

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 19/3 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा, मौजा ग्राम गोपासरिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम बीजाराम पि. बुधाराम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम कालुराम पुत्र श्री बुधाराम है तथा मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में मेरा नाम कालुराम पुत्र श्री बुधाराम दर्ज है जिसकी प्रतियां संलग्न है तथा ग्राम भलासरिया तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 119 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कालुराम पि. बुधाराम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों की भूलवश मेरा नाम बीजाराम पि. बुधाराम गलत दर्ज कर दिया गया है जिसको मैं उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना चाहता हूँ जो इन दस्तावेजों से बखूबी कालुराम पि. बुधाराम प्रमाणित होता है। राजस्व रेकर्ड में नाम अशुद्ध होने के कारण राजस्व रेकर्ड व मेरे अन्य दस्तावेजों में एकरूपता नहीं होने से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध करवाना चाहता हूँ। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19/3 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा ग्राम गोपासरिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बीजाराम पि. बुधाराम के स्थान पर कालुराम पि. बुधाराम दर्ज

सहायक कलक्टर, ओसियाँ

Scanned with CamScanner

किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कालुराम पि. बुधाराम दर्ज करने की अनुशंसा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व ग्राम भलासरिया की जमाबन्दी का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कालुराम पि. बुधाराम है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19/3 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा ग्राम गोपासरिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बीजाराम पि. बुधाराम के स्थान पर वास्तविक नाम कालुराम पि. बुधाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 25/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां